न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 113/2018

उनवान

भरत सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
——वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम्

1. चौथी पत्नी शिवराज
2. शिवराज पुत्र हमीरा
3. लक्ष्मी पत्नी महादेव
4. गिरधारी पुत्र शिवराज
5. सोहनी पत्नी गिरधारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।
7. ईश्वर सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत
8. कानी पत्नी कालू जाति जाट
9. ग्यारसी पत्नी शिवराज जाति जाट
10. गोरा पत्नी रामधन जाति जाट
11. ग्यानी पत्नी जेठूराम जाति जाट
12. जडाव पत्नी गोदू उर्फ गोरधन जाति जाट
13. मोहन कंवर पत्नी ईश्वर सिंह जाति राजपूत
14. रसाल पत्नी रामदेव जाति जाट
15. रामेश्वर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट
16. रामेश्वरी पत्नी विजयकरण जाति जाट
17. सायर कंवर पत्नी दशरथ सिंह जाति राजपूत समस्त निवासी ग्राम कानुपरा, नसीराबाद

———प्रतिवादीगण :— 1 से 5 व 7 से 17 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— २२.५.२१

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा उक्त प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] वादी की पुश्तैनी खातेदारी/ काश्तकारी की आराजीयात हाल खसरा संख्या 3297 [illegible] 2.29 ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद में अवस्थित हैं। जिस पर वादी अपने पुरखों [illegible] काबिज काश्त [illegible] आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना न[illegible] लेकिन प्रतिवादीगण [illegible] को

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बेदखल करने हेतु कूट रचना कर कुछ हिस्से पर काटों की बाड. डालकर कब्जा कर लिया। वादी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष सीमाज्ञान व कब्जा हेतु लिखित पत्र पेश किया किन्तु उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अतिक्रमण हटाने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया गया तत्पश्चात दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। वादी को उक्त आराजी पर हल नही चलाने दिया व बाडे बना लिये है। अतः खसरा नम्बर 3297 रकबा 2.29 के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया है, पर वादी का कब्जा पुर्नस्थापित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का ही दखल व कब्जा है। वादी का उक्त आराजी पर कब्जा नही है। वादी को कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही हुआ है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 ने 50 वर्षो से बाडा बना रखा है एवं अपने जानवर रखता है। प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिये उक्त वाद वादी द्वारा पेश किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी होने व प्रतिवादीगण अतिचारी होने से वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बेदखली व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण का कब्जा 50 वर्षो से है? इसका वाद पर क्या असर पडेगा ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

बाद तनकीयात प्रकरण वास्ते साक्ष्य नियत किया गया जिसमें वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2072–2075 व मौका पर्चा सीमाज्ञान छाया प्रति पेश की। एवं पी.डब्ल्यू–1 भरत सिंह पुत्र केशर सिंह एवं पी.डब्ल्यू–2 बिजेस सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के बयान कलमबद्ध किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये साथ ही वाद विचारण के दौरान प्रतिवादीगण व अनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। व अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 7 से 17 को पक्षकार मुर्तिब किया गया जो बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अंद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय वादी अभिभाषक व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है–

तनकी संख्या 1 :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिन्होंने अपने कथनों के समर्थन में जमाबदी प्रस्तुत की जिसमें वादी का नाम सहखतेदार दर्ज है। वादी के कथन अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना नही है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 16:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादीगण ने वादी को जबरन बेदखल करने हेतु कूट रचना कर कुछ हिस्से पर काटों की बाड. डालकर कब्जा कर लिया। वादी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष सीमाज्ञान व कब्जा हेतु लिखित पत्र पेश किया किन्तु उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अतिक्रमण हटाने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया गया तत्पश्चात दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। वादी को उक्त आराजी पर हल नही चलाने दिया व बाडे बना लिये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में उक्त आराजी पर कोई वैधानिक हक व अधिकार होने का कथन भी नही किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में उक्त आराजी पर 50 वर्षो से अपना कब्जा होने का कथन अंकित किया है किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये। जबकि वादी ने अपने वाद व उक्त तनकी के समर्थन में स्वयं व स्वतंत्र गवाह बिजेस सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के बयान दर्ज करवाये है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे वादी के कथनों का खण्डन होता हो। प्रतिवादी आज उक्त आराजी पर काबिज है तो किस आधार पर व किस हक से काबिज है यह उनके द्वारा सिद्व नही किया गया है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 06.07.2018 से बहेसियत अतिक्रमी सिद्ध होते है। जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :—

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वादी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी की भूमि होना सिद्व होता है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण किया जाना तनकी संख्या 1 में निर्णित किया जा चुका है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर 50 वर्षो से काबिज है इस तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **''स्वीकार''** किया जाकर ग्राम कानपुरा स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 3297 रकबा 2.29 से प्रतिवादी स0 1 से 5 को बेदखल कर वादी व हाल जमाबंदी में दर्ज अन्य सहखातेदारों को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी स0 1 से 5 को मौके से बेदखल कर वादी व हाल जमाबंदी में दर्ज अन्य सहखातेदारों को काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भरत सिंह बनाम चौथी वगै0

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 113/2018
पेश करने की दिनांक – 26.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द सिंह मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद "**स्वीकार**" किया जाकर ग्राम कानपुरा स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 3297 रकबा 2.29 से प्रतिवादी स0 1 से 5 को बेदखल कर वादी व हाल जमाबंदी में दर्ज अन्य सहखातेदारों को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी स0 1 से 5 को मौके से बेदखल कर वादी व हाल जमाबंदी में दर्ज अन्य सहखातेदारों को काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 04 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद